राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मंडावर जिला दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या – 14/2023(विविध)

पीठासीन अधिकारी – नीतू करोल (आर.ए.एस.)

उनवान

1 विष्णुकान्त पुत्र रामदयाल
2 महेश पुत्र रामदयाल
3 रमाकान्त पुत्र रामदयाल
4 विजयलक्ष्मी पुत्री रामदयाल
5 शशिदेवी पुत्र रामदयाल
6 सुमन पुत्री रामदयाल

जाति मीना निवासी हल्दैना तहसील मंडावर जिला दौसा

————(सायलान/प्रार्थीगणगण)

बनाम

1. मुकेश पुत्र श्रीचन्द
2. मुरारी पुत्र श्रीचन्द
3. रामसिंह पुत्र श्रीचन्द
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीचन्द

जाति माली निवासी मंडावर तहसील मंडावर जिला दौसा

5. श्रीमान तसीलदार साहब मंडावर तहसील मण्डावर जिलाा दौसा राज.

————(गैरसायलान/अप्राथीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

उपस्थित 1. श्री जितेन्द्रसिंह गुर्जर एडवोकेट–प्रार्थी

2. नायब तहसीलदार मंडावर– सरकार पैरोकार

निर्णय दिनांक –17.10..2023

प्रार्थीगणगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि स्थित वाके ग्राम मंडावर तहसील मंडावर के आराजी खसरा नम्बर 1697 रकबा 1.09 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर है। जिसमे प्रार्थीगण संयुक्त रूप से कब्जा काश्त मौजूद हैं। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी पर अपने बुजुर्गो समय से कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी को अपने उपभोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। प्रार्थीगण के अलावा किसी भी अन्य पक्षकार की साझेदारी व भागीदारी नहीं है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम मौजूद जमाबंदी में इन्द्राज है। प्रार्थीगण के आवेदन पर तहसीलदार मंडावर के आदेश से दिनांक 18.05.2023 को उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर निशानात लगाये गये। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा

संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थीगण अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर श्रीमान तहसीलदार साहब मंडावर अप्रार्थीगण संख्या 5 को खातेदारी भूमि की पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावें।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 बावजूद सम्मन तामील ना तो स्वयं हाजिर आये न ही उनका कोई विधिक प्रतिनिधि न्यायालय हाजिर आया।। तत्पश्चात उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रकरण तहसीलदार मंडावर रिर्पोट में अवगत कराया गया की उक्त आराजीयात का सीमाज्ञान दिनांक 18.05.2023 को प्रार्थी की मौजूदगी में करवाकर निशानात लगाये गये एवं सीमाज्ञान में लगाये गये निशानात् के आधार पर पत्थर गढी किये जाने की अभिशषा की गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी पक्ष को सुना गया। बहस प्रार्थना पत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—:: आदेश ::—

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम मंडावर पटवार मंडल मंडावर भू.अ.निरीक्षक मंडावर तहसील मंडावर में उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 471 के आराजी खसरा नम्बर 1697 रकबा 1.09 हैक्टेयर कुल किता 1 कुल रकबा 1.09 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान तहसीलदार मंडावर के सीमाज्ञान अनुसार की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू—अभिलेख निरीक्षक मंडावर को 1500/—(नियमानुसार) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू—अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी खातेदारों को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार मंडावर को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.10..2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नीतू करोल)
उपखण्ड अधिकारी,
मंडावर (दौसा)